102

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2162—एक/2011 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 10.08.2011 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 207—अपील/2008—09.

.....

महन्त सियारामशरण शिष्य महन्त रामदेवशरण
निवासी हनुमत भवन, गोलाघाट आयोध्या
जिला फैजावाद उत्तर प्रेदश

———आवेदक

विरूद्ध

संतशरण चेला पुरूषोत्तम दास
निवास लक्ष्मण घाट अयोध्या
जिला फैजावाद उत्तर प्रदेश
तथाकथित निवासी हनुमत भवन, गोलाघाट
आयोध्या जिला फैजावाद उत्तर प्रेदश ———अनावेदक

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक एक पक्षीय है

.....

आदेश
(आज दिनांक 04/04/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 10.8.11 के विरूद्व मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2—प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खैरिया आलम तहसील भाण्डेर में महंत रामदेवशरण के नाम पर कृषि भूमि भूमिस्वामी स्वतव पर अंकित थी । महंत रामदेवशरण की मृत्यु के बाद नायब तहसीलदार वृत्त पण्डोखर तहसील भाण्डेर ने नामांतरण पंजी पर दिनांक

13.12.1985 के आदेश द्वारा अनावेदक संतशरण का नामांतरण स्वीकार किया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को अनुविभगीय अधिकारी ने स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 16.01.1987 द्वारा प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उद्घोषणा का प्रकाशन करते हुये दोनों पक्षें को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देकर गुण–दोषों पर निर्णय लिया जाय। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अनावेदक ने अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी में चुनौती दी अपर कलेक्टर ने निगरानीअमान्य करते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रकरण कमांक 21/1985–86 में आदेश पारित करते हुये आवेदक की अपील को समयावधि के बिन्दु पर निरस्त कर दिया जिसके विरूद्व आवेदक ने द्वितीय अपील प्रस्तुत की अपर आयुक्त ने दिनांक 30.09.2004 को आवेदक की अपील स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया एवं प्रकरण तहसीलदार नयायालय को पुनः सुनवाई एवं निर्णय हेतु प्रत्यावर्तित किया। तहसीलदार भाण्डेर ने प्रत्यावर्तन आदेश का पालन करते हुये दिनांक 16.06.2008 के आदेश से अनावेदक सियारामशरण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आवेदक का नामांतरण आदेशित किया। जिसके विरूद्व अनावेदक ने अनुविभगीय अधिकारी के समक्ष अपील कमांक 16/2008–09 प्रस्तुत की जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 24.11.2008 पारित करते हुये निरस्त किया। अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेशके विरूद्व द्वितीय अपील कमांक 207/2008–09 प्रस्तुत की जिसे अपर आयुक्त ग्वालियर ने विवादित आदेश द्वारा स्वीकार किया हैं इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक के अधिवक्ता ने निगरानी आवेदन में उठाये गये आधारों के अनुसार तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा कि आवेद स्व0 रामदेवशरणका एक मात्र शि''य व उततराधिकारी हे अनावेदक का मृतक रामदेवशरण से कोई संबध नहीं था। अपर आयुक्त ग्वालियर न्यायालय से प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के पश्चात आवेदक ने तहसील न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य के साथ ही लेखी साक्ष्य की रूप में भू–राजस्व एवं सिचाई टैक्स जमा करने के प्रमाण के साथ ही ग्राम

पंचायत का पंचनामा भी प्रस्तुत किया जिससे प्रमाणित होता है कि रामदेवशरण के मृत्यु के समय से ही आवेदक का उत्तरधकिारी के रूप में आधिपत्य है उनका कहना है कि प्रकरण के अभिलेख में पटवारी गिरवर सिंह यादव का प्रतिवेदन दिनांक 24.03.05 भी उपलब्ध है जिसमें पटवारी ने आवेदक को स्व0 रामदेवशरण का चेला/उत्तराधिकारी होना प्रतिवेदित किया है। आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक ऐसी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता जिससे आवेदक द्वारा दी गई साक्ष्य का खण्डन हो सकें आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के अन्य साक्षी राधाचरण एवं रामप्रकाश के कथनों से भी यह प्रमाणित है कि स्व0 रामदेवशरण ने अपने जीवनकाल में आवेदक सियारामशरण को अपना शिष्य एवं उत्तराधिकारी घोषित किया था। रामदेवशरण की मृत्यु के बाद आवेदक ही उनके उत्तराधिकारी के रूप में मंदिर की सेवा पूजा करते हैं एवं भूमि पर उन्हीं का आधिपत्य है। आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को मात्र इस आधार पर निरस्त किया है कि उभयपक्षों के मध्य व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहाहै और वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीन हैं। आवेदक की ओर से तक हे कि जिस दशम अपर जिला नयायाधीश, फैजाबाद के जिस निर्णय के आधार पर अपर आयुक्त ने आदेश पारित किया है वह निर्णय स्व0 रामदेवशरण दास के नाम से बैंक खाते में जमा राशि के संबंध में था जिसमें भूमि का कोई विवाद नहीं था न ही भूमि के संबंध में कोई राहत चाहते हुये प्रस्तुत किया गया था, दशम अपर जिला न्यायाधीश फैजाबाद में अपने निर्णय के अंतिम पद में चाही गई घोषणात्मक डिक्री का उल्लेख करते हुये निर्णय किया है कि **''इस विषय पर दोनों पक्षों की ओर से यह कहागया है कि महन्त रामदेवशरण ने मंदिर से प्राप्त धनराशि को अपने निजी खातों में जमा कर लिया था परन्तु वास्तव में उस धनराशि का स्वामित्व वादी संसथा–1 में निहित हैं प्रतिवादी संस्था–3 का यह तर्क है कि वादी संस्था–2 द्वारा मांगी गई इस प्रकार की घोषणात्मक डिकी उसे प्राप्त नहीं हो सकती। यदि वादी द्वारा बैंको में जमा धनराशि के संचालन हेतु घोषणात्मक डिकी मांगी गई होती तो उसे दी जा सकती थी, परंतु उस धनराशि के भुगतान हेतु घोषणात्मक डिकी उसे नहीं दी जा**

सकती। वाद पत्र में मांगी गई याचना के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादी संस्था–2 ने इस आशय की घोषणात्क डिकी मांगी है कि वह बैंको में जमा धनराशि पाने का अधिकारी है मेरे विचार से इस प्रकार की घोषणात्मक डिकी वादी संस्था–2 को नहीं मिल सकती'' आवेदक के अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा कि दशम अपर जिला न्यायाधीश के उक्त आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील लंबित है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के पालन में बैंको से पैसा निकालने व मंदिर की संपत्ति को अंतरित करने पर रोक लगा दी है वह प्रकरण भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है इस कारण अधीनस्थ व्यवहार न्यायालय का आदेश प्रभावशील नहीं रहा है उनका कहना है कि अपर आयुक्त ने व्यवहार न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश देने में त्रुटि है इस कारण अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये। उनका यह भी तर्क है कि अपर आयुक्त ने नामांतरण प्रकरण के अभिलेख में उपलब्ध लेखी व मौखिक साक्ष्य पर विचार न करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के एक मत से दिये गये आदेशों को निरस्त किया जो न्यायोचित नहीं है।

4–अनावेदक को इस न्यायालय द्वारा उनके निवास तथा मंदिरके पते पर साधारण सूचना पत्र भेजे गये साथ ही पंजीकृत डाक द्वारा भी सूचना पत्र दिया गया परंतु उनकी ओर से अनुपस्थिति के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।

5–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया । आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर मनन करने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय ने आवेदक द्वाराप्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला था कि आवेदक स्व0 रामदेवशरण का शिष्य व उत्तराधिकारी है। रामदेवश्रण की मृत्यु के बाद आवेदक ही हनुमत भवन गोला घाट श्री अयोध्या जी स्थित मंदिर में निवासरत होकर पूजा अर्चना करता चला आरहा है आवेदक की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों तथा पटवारी प्रतिवेदन से प्रमाणित है कि इस प्रकरण में विवादित भूमि स्व0 श्री रामदेवशरण के नाम पर अंकित है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों तथा पटवारी प्रतिवेदन से प्रमाणित

है कि इस प्रकरण में विवादित भूमि स्व0 श्री रामदेवशरण के नाम पर अंकित है जिस पर आवेदक का ही आधिपत्य है। आवेदक ने लगान तथा सिंचाई टैक्स आदि की रसीदें भी प्रस्तुत की है उपलब्ध साक्ष्य से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आवेदक स्व0 रामदेवशरण का शिष्य व उत्तराधिकारी है।

अनावेदक की ओर से तहसील न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकी। जिससे यह माना जा सके कि वह मृतक रामदेवशरण का शिष्य व उत्तराधिकारी है ऐसी स्थिति में तहसील व अनुविभागीय अधिकारी के एकमत से दिये गये आदेशों को निरस्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं था। अपर आयुक्त ने साक्ष्य पर आधारित दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने के लिये कोई कारण अपने आदेश में नहीं दिया है। अपर आयुक्त ने मात्र इस आधार पर अनावेदक की अपील को स्वीकार किया है कि माननीय व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहा है और वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय इलाहबाद के समक्ष अपील विचाराधीन है। अपर आयुक्त के आदेश में दिया गया कारण मेरे मत से उचित नहीं है। व्यवहार न्यायालय, दशम अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष बैंक में जमाराशि का विवाद था उनके आदेश के विरूद्व अपील में माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को बैंक में जमा राशि को बैंक से निकालने पर रोक लगाई है तथा मंदिर की संपत्ति के अंतरण को प्रतिबंधित किया है जबकि इस प्रकरण में विवादित भूमि रामदेवशरण के नाम पर अंकित है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 207/अपील/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2011 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर